

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (G-348) अलेसे- I/1755-62

दिनांक:- 05.03.26

आदेश संख्या...87/2025-26

श्री गणेश राम, (लिक नं. 2570) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय कोषाधिकारी, सिरोही जिनकी जन्म तिथि 18.06.1966 है, ने पंचायत राज चुनाव, 2026 में वार्ड पंच के पद का चुनाव लड़ने हेतु दिनांक 06.03.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 06.03.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है। श्री गणेश राम की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05.11.1990 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गणेश राम के विरुद्ध आदिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

1755/5/3/2026
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (G-348) अलेसे- I/1755-62

दिनांक:- 05.03.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग.....
3. कोषाधिकारी, सिरोही।
4. श्री गणेश राम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय-कोषाधिकारी, सिरोही।
5. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली।

1755/5/3/2026
(लखपत मीना)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)